संख्याः 17M(4)/35–आ0–1/2009–12

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

राज्य योजना आयोग–1, नियोजन विभाग
योजना भवन।

लखनऊः दिनाँकः फरवरीः 13, 2015

विषयः प्रदेश में आधार परियोजना का क्रियान्वयन।

महोदय,

प्रदेश में आधार परियोजना के क्रियान्वयन के क्रम में आधार नामांकन एजेंसियों का चयन प्रक्रियाधीन है। इस सम्बन्ध में निदेशक, सूचना विभाग के माध्यम से आर0एफ0क्यू0 आमंत्रण हेतु प्रकाशित विज्ञापन के उपरान्त बिड/निविदा खोले जाने पर कतिपय मण्डलों से एकल बिड प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुयी थी।

इस सम्बन्ध में प्राप्त परामर्श के अनुसार :–

एकल बिड प्राप्त होने की स्थिति में चीफ टेक्निकल एक्जामिनर्स आरगनाइजेशन, सेन्ट्रल विजिलेंस कमीशन, भारत सरकार के "Common irregularities/lapses observed in stores/purchase contracts and guidelines for improvement in the procurement system" के विशेष रूप से प्रस्तर 6.3 व प्रस्तर 15 उल्लेखनीय है जो अधोवत् है :–

6.3– In case of proprietary purchases, the detailed Justification for purchase from a single vendor is not being placed on record. As by issuing single tender, the competition is totally eliminated and the possibility of paying higher prices can not be ruled out.

- It is imperative that the purchase on single tender basis be made with the detailed justification in its support and with the approval of competant authority including associated finance.

निविदा आमंत्रित करने के उद्देश्य में "प्रतिस्पर्धात्मक" दरें प्राप्त करना भी सम्मिलित है। एकल बिड प्राप्त होने की स्थिति में प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। जो स्थिति सिंगिल वेण्डर से क्रय करने में प्रतिस्पर्धा की समाप्ति की है, वैसी ही स्थिति एकल बिड प्राप्त होने में उदित होगी, अतः सादृश्यता के आधार पर उपरोक्त प्रासंगिक है।

.....2

15– "It is very important to establish the reasonableness of prices on the basis of estimated rates, prevailing market rates, last purchase price, economic indices of the raw material/labour, other input costs and intrinsic value etc., before award of the contract."

उक्त डाकूमेन्ट www.cvc.nic.in/cte_man_2002.pdf पर देखा जा सकता है।

कृपया उपरोक्त मार्गनिर्देशों के आलोक में सम्बन्धित मण्डलायुक्त (रजिस्ट्रार) समस्त पक्षों यथा–युक्तिसंगत मूल्य, लागत आदि पर विचार करते हुए अपने स्तर से विवेकानुसार निर्णय लेने का कष्ट करें।

भवदीय,

13/2/15

(डा0देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव